

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर (अलवर)  
पीठासीन अधिकारी :: लाखन सिंह गुर्जर (R.A.S)

राजस्व दावा-1/89  
तारीख दायरा-05.05.2015

जीसीएमएस-2013/00663

उनवान

1. बनवारी लाल पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 64 साल।
  2. बनारसी पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 62 साल।
  3. हरिओम पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 60 साल।
  4. घनश्याम पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 57 साल।
  5. अजय कुमार पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 46 साल।
  6. अनिल कुमार पुत्र श्री नथीलाल उम्र करीब 41 साल।
- जाति महाजन साकिन खेडलीगंज तहसील कठुमर जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. रमला सिंह पुत्र घीसाराम उम्र करीब 47 साल जाति गुर्जर साकिन मैथना तहसील कठुमर जिला अलवर।
  2. संजीव कुमार पुत्र श्री रोशनलाल उम्र करीब 20 साल।
  3. श्रीमती सरवती स्त्री रोशनलाल।
- जाति गुर्जर साकिन हाल कठुमर तहसील कठुमर जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-


1. श्री भागचन्द जैन, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2. श्री रामजीलाल शर्मा, अधिवक्ता, प्रति.सं. 2 व 3 की ओर से।
3. श्री राजेश शर्मा, अधिवक्ता, प्रति.सं. 1 की ओर से।

(राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आर टी एक्ट)

निर्णय

दिनांक...24/01/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी ख0नं0 929 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 930 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम कठुमर तहसील कठुमर जिला अलवर में वाके है जो आराजी उपरोक्त दावे हाजा में विवादग्रस्त आराजी मुतनाजा है। विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी में चली आ रही है। विवादित आराजी ख0नं0 हाल 929 नगर-कठुमर रोड के सहारे-सहारे तथा खसरा नम्बर 930 नगर-कठुमर वो कठुमर-मैथना रोड के सहारे-सहारे है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
कठुमर (अलवर) राज०

प्रतिवादी नम्बर 1 ने ख0नं0 929 में से नगर कठूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे की 700 वर्गफुट 25 इन्टू 29 वर्गफुट जमीन जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.06.04 को वादीगण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है ।

प्रतिवादी नम्बर 02 ने खसरा नम्बर हाल 930 में से कठूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे की ख0नं0 हाल 930 में से 2220 वर्ग फुट जमीन 68 इन्टू 80 इन्टू 76 इन्टू 30 वादीगण से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.06.04 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । प्रतिवादी नम्बर 03 ने खसरा नम्बर हाल 929 में से नगर कठूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन वो कठूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे की खसरा नम्बर हाल 930 में से 1230 वर्ग फुट जमीन (15 इन्टू 84 इन्टू 80) जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.06.04 को वादीगण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा रजिस्ट्री के साथ नक्शा संलग्न किया था जिस अनुसार पूर्व से पश्चिम सिरा उत्तर 15 फुट ,सिरा दक्षिण 15 फुट, उत्तर से दक्षिण सिरा पश्चिम 84 फुट, सिरा पूर्व 80 फुट था वो कब्जा प्राप्त किया था। खरीद की गई भूमि का मुताबिक बयनामा खरीदारान प्रतिवादी 1 ला0 3 के हक में इन्तकाल दर्ज वो स्वीकृत हो गया तथा खरीददारान खरीद की गई भूमि पर काबिज हो गये शेष भूमि वादीगण के कब्जे में चली आ रही है जिसके वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है, शेष वादीगण की भूमि ख0नं0 929,930 वाके ग्राम कठूमर विवादित आराजी मुतनाजा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण लठठआज व्यक्ति है जो आपस में रिश्तेदार है। जिन प्रतिवादीगण ने एकराय होकर सलाह मशविरा करके स्वयं की खरीदशुदा जमीन में दिनांक 05.06.05 को पाटोल डाली थी जिस पाटोल को डालते समय प्रतिवादीगण से वादीगण की विवादित आराजी ख0नं0 929,930 की 15 फुट पूर्व पश्चिम वो 33 फुट जमीन उत्तर दक्षिण पर भी नाजायज कब्जा करके पाटोल डाल दी वो जबरन कब्जा कर लिया जैसे ही वादीगण को नाजायज कब्जा करके पाटोल डालने का पता चला तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुमने हमारे खेत की 15 इन्टू 33 वर्गफुट जमीन पर कब्जा करके पाटोल क्यों डाली है तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने तो डाल ली तुम्हारी मरजी आवे सो करो।

अतः दावा हाजा पेश कर अर्ज है कि दावा दखलयाबी खिलाफ प्रतिवादीगण जो प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 हाल 929,930 वाके कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर के 33 फुट उत्तर से दक्षिण वो 15 फुट पूर्व से पश्चिम जमीन दबाकर नाजायज कब्जा करके पाटोल डाल दी है उसे हटवाया जाकर वादीगण को दखल दिलाया जावे।


हमने दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें उल्लेखित किया है कि आराजी ख0नं0 929,930 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अवश्य स्थित है किन्तु बाकी तथ्य असत्य हैं व स्वीकार नहीं। आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी में अवश्य है किन्तु वादीगण ने अपनी उक्त आराजी में से कुछ आराजी जर्जे विक्रय पत्रों के हम प्रतिवादीगण को विक्रय कर दिया है जिस विक्रयशुदा आराजी पर हम प्रतिवादीगण काबिज हैं और आराजी खरीदशुदा हमारी खातेदारी में है। प्रतिवादी संख्या 01 ने ख0नं0 929 में नगर कठूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे की 700 वर्गफुट (25 इन्टू 28 वर्गफुट) जमीन को जर्जे रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.06.04 को खरीद की है और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है किन्तु वादीगण स्वयं बेईमान किस्म के व्यक्ति हैं जिनको सडक के मध्य से 75 फुट भूमि छोडकर रजिस्ट्री करानी चाहिए थी।

  
उपसण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर) राज

प्रतिवादी नं० 1 भोला वो अनपढ आदमी है जिसको वादीगण ने नहीं बताया कि कानूनन सडक के मध्य से 75 फुट जमीन छोडकर ही विक्रय किया जा सकता है किन्तु वादीगण स्वयं ने जानबूझकर रजिस्ट्री में 75 फुट छोडकर नहीं लिखाकर 50 फुट लिखाया है जो वादीगण की बेईमानी है।

प्रतिवादी संख्या 02 ने आराजी ख०नं० हाल 930 में से कटूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर सडके के सहारे ख०नं० हाल 930 में से 2220 वर्गफुट जमीन (68 इन्टु 80 इन्टु 76 इन्टु 30) वादीगण से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.06.04 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तथा जो उत्तर से दक्षिण सिरा पूर्व 68 फुट, सिरा पश्चिम 80 फुट, बीच में 76 फुट, पूर्व से पश्चिम सिरा उत्तर 30 फुट, सिरा दक्षिण 30 फुट कुल 2220 वर्गफुट जमीन खरीदी थी वो कब्जा प्राप्त कर लिया है जिस खरीदशुदा जमीन पर प्रतिवादी नं० 02 का कब्जा है किन्तु वादीगण बेईमान किस्म के व्यक्ति हैं जिनको मैथना वाली सडक पर मध्य से कम से कम 30 फुट से 50 फुट जमीन छोडकर रजिस्ट्री करानी चाहिए थी और रजिस्ट्री कराते वक्त वादीगण ने रजिस्ट्री में सडक से मध्य 30 से 50 फुट की बजाय 25 फुट लिखी है जो गलत है जबकि वादीगण को बयनामा पंजीबद्ध कराते समय नियमानुसार 30 से 50 फुट सडक के मध्य से छोडकर विक्रय पत्र में दर्ज करानी चाहिए थी। प्रतिवादी नं० 02 अनपढ है तथा कानून से अनभिज्ञ था और प्रतिवादी के अनपढ होने का नाजायज फायदा वादीगण ने उठाया है। प्रतिवादी संख्या 03 ने ख०नं० हाल 929 में से नगर कटूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन वो कटूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर की ख०नं० 930 में से 1230 वर्गफुट जमीन जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.06.04 को वादीगण से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। विवादित आराजी जो हम प्रतिवादीगण की खरीदशुदा है उससे वादीगण का कोई सरोकर वो वास्ता नहीं है। वादीगण का कोई रकबा शेष नहीं है। वादीगण का कोई कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं है तथा पाटोल जो डली हुई है वह हमारी खरीदशुदा आराजी पर डली हुई है तथा शेष रकबा भी हमारे कब्जे वो स्वामित्व का है। हम प्रतिवादीगण की 15 इन्टू 33 वर्गफुट जो जगह है जो हमारी खरीदशुदा है जिस पर हमारा कब्जा है जिस कारण वादीगण को कोई दखलयाबी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा तमाम कहानी वादीगण ने गलत दर्ज की है। दिनांक 05.06.05 की कहानी भी वादीगण ने गलत दर्ज की है जबकि पाटोल तो पहले से खरीद के बाद ही डाल दी थी जब वादीगण का आराजी मुतनाजा पर किसी का कोई कब्जा ही नहीं है तो थानाअधिकारी कटूमर की रिपोर्ट पेश करने की बात भी गलत है तथा वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज नहीं है और प्रतिवादीगण खरीदशुदा आराजी पर काबिज हैं। वादीगण कोई भी दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू 1 बनारसी पुत्र नथीलाल के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी तथा प्रदर्श-2 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श-3 नकल बयनामा 14.06.04 तथा प्रदर्श-4 नकल नक्शा, प्रदर्श-5 नकल बयनामा 30.06.04 संजीव गूजर, प्रदर्श-6 नकल नक्शा प्रदर्श 7 बयनामा 30.06.04 सरस्वती प्रदर्श 8 नक्शा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वक्त बहस सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड कटूमर का पत्रांक 323-324 दिनांक 22.08.2022 सूचना के अधिकार के तहत पेश किया गया है तथा उक्त दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीया निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार हैं-

  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर) राज०

1. आया वादीगण ख0नं0 हाल 929,930 वाके ग्राम कटूमर में 33 इन्टू 15 वर्गफुट जमीन जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा पाटौल डाल दी पर दखल प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

.....वादी  
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी हैं।


.....वादी  
3. आया वादीगण को मुख्य सडक के मध्य बिन्दु से 75 फुट जमीन छोडकर वो मैथना वाली सडक पर 30 से 50 फुट जमीन छोडकर बयनामा रजिस्टर्ड कराना चाहिए था।

.....प्रतिवादी

तनकी नम्बर 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है तथा तनकी नम्बर 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

विवाधक 1 आया वादीगण ख0नं0 हाल 929,930 वाके ग्राम कटूमर में 33 इन्टू 15 वर्गफुट जमीन जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा पाटौल डाल दी पर दखल प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने तनकी नम्बर 1 के समर्थन में मौखिक रूप से दौराने बहस अपने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 01 ने वादीगण के ख0नं0 929 में से नगर कटूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे 700 वर्गफुट जमीन, प्रतिवादी सं. 2 ने ख0नं0 930 में से कटूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे सहारे 2220 वर्गफुट जमीन व प्रतिवादी सं. 03 ने ख0नं0 929 में से नगर कटूमर रोड के मध्य बिन्दु से 50 फुट जमीन वो कटूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोडकर सडक के सहारे के ख0नं0 930 में से 230 वर्गफुट जमीन, जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.06.04 को वादीगण से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.06.05 को वादीगण की आराजी ख0नं0 हाल 929, 930 की 15 फुट पूर्व पश्चिम वो 33 फुट जमीन उत्तर दक्षिण पर नाजायज कब्जा करके पाटौल डाल दी प्रतिवादीगण द्वारा डाली गई नाजायज पाटौल व किये गये नाजायज कब्जे को हटवाया जावे वादीगण ने यह भी कथन किया कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण ने पाटौल डालकर जबरन अधिक जमीन पर कब्जा किया है तथा बहस के दौरान यह कथन भी किया है कि बयनामा प्रदर्श 3 में भी वादीगण ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 रमला सिंह को ख0नं0 929 में से 9/10 हि0 में से एक प्लॉट पूर्व पश्चिम 25 फुट उत्तर दक्षिण 28 फुट कुल क्षेत्रफल 700 वर्गफुट का बेचान किया है तथा उक्त प्लॉट मध्य सडक से पी.डब्ल्यू डी की जमीन को छोडकर किया है। प्रदर्श पी-4 रजिस्ट्री के साथ का नक्शा पेश किया है तथा प्रदर्श-5 बयनामा 930 नम्बर 0. 05 का 9/10 हि0 सिरे पूर्व 68 फुट सिरे पश्चिम 80 फुट बीच में 76 फुट पूर्व पश्चिम 30 फुट कुल 2220 वर्गफुट जमीन का बेचान किया है तथा प्रतिवादीगण ने बेचान की जमीन से भी अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे से उक्त कथनों का विरोध किया है तथा कथन किया है कि उक्त जमीन वादीगण ने 75 फुट छोडकर ही जमीन का सौदा किया था लेकिन हम अनपढ होने के कारण बैयनामें में ख0नं0 929 में 50 फुट गलत लिखवा लिया था तथा कब्जा भी हमे 75 फुट छोडकर दिया है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा ख0नं0 930 में भी 30 से 50 फुट सडक के मध्य से छोडकर रजिस्ट्री कराने थी लेकिन 25 फुट गलत लिखा दिया क्योंकि बयनामा के समय 30 से 50 फुट छोडकर ही कब्जा दिया था

  
उपस्थण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर) राज0

तथा खरीदशुदा जमीन पर मकान व पाटोल काफी समय से डले हुए हैं वकील प्रतिवादीगण यह भी तर्क किया कि आराजी वादीगण द्वारा हम प्रतिवादीगण को जरिये विक्रय पत्रों से बेचान किया है और विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही भी दर्ज हो चुकी है और उक्त आराजी के जमाबंदी में हम प्रतिवादीगण खातेदार कास्तकार दर्ज हैं तथा यह भी निवेदन किया कि उक्त जमीन सडक के मध्य से 75 फुट भूमि छोड़कर ही जमीन का विक्रय किया जा सकता है लेकिन शुरु से ही वादीगण के बेईमानी आ रही है। बयनामा भी हम प्रतिवादीगण अनपढ़ होने के कारण बेईमानी से लिखाया है तथा आ0ख0नं0 930 कठूमर मैथना रोड के मध्य बिन्दु से 25 फुट जमीन छोड़कर सडक के सहारे 2220 वर्गफुट हमने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है तथा कब्जा भी दिशाओ के अनुसार नाप के अनुसार ही लिया है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने दिनांक 05.06.05 को पाटोल डालना अंकित किया है तथा रिपोर्ट दर्ज कराना बताया है जिसमें भी एफ आर लगना वादीगण पी.डब्ल्यू 1 ने जाहिर किया है तथा उक्त पाटोल के समर्थन में कोई पैमाईश रिपोर्ट वादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है तथा प्रदर्श-1 जमाबंदी में भी वादीगण व प्रतिवादीगण बतौर खातेदार कास्तकार दर्ज हैं। बिना बंटवारे धारा 188 व 183 का दावा मैंटेनेबल नहीं है, क्योंकि धारा 188 का दावा एक सहकास्तकार दूसरे सहकास्तकार के विरुद्ध नहीं ला सकता है ना ही वादीगण द्वारा कोई बंटवारे का दावा किया है ना ही ऐसी कोई रिलिफ चाही है तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पाटोल डालने के संबंध में वादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है। अतः विवाधक संख्या 1 को वादीगण साबित नहीं कर सका। अतः तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरुद्ध साबित की जाती है।

**विवाधक 2-**आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसका विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 1 में भी किया जा चुका है उसके बावजूद भी हमारी राय में बिना कानूनी बंटवारा किये हुए एक सह हिस्सेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वैसे भी उक्त पत्रावली में आई साक्ष्य से भी यह जाहिर नहीं होता है कि वादीगण का कोनसा हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा किस हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 को भी वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए तनकी नम्बर 2 भी वादीगण के विरुद्ध साबित की जाती है।

**विवाधक 3:** आया वादीगण को मुख्य सडक के मध्य बिन्दु से 75 फुट जमीन छोड़कर वो मैथना वाली सडक पर 30 से 50 फुट जमीन छोड़कर बयनामा रजिस्टर्ड कराना चाहिए था।

उक्त विवाधक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने उक्त विवाधक के संबंध में जवाब दावे के अलावा और कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। प्रतिवादीगण ने कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कठूमर जिला अलवर का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक पत्र पेश किया गया है जिस आदेश में खेडली नगर सडक के मध्य से 40 मीटर तक बिल्डिंग लाईन तथा सडक के मध्य से 22.50 मीटर तक आरओडब्ल्यू निर्धारित है। वैसे भी वादीगण ने यह कथन किया है कि हमने बयनामा कराये हैं जिनमें नाप अंकित है तथा बयनामे में जो लिखा है वह उप पंजीयक द्वारा पढाने व समझाने के बाद ही बयनामा तहरीर व तकमील किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर) राज०


प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिदावा भी वादीगण के विरुद्ध पेश नहीं किया गया है। वैसे भी वाद पत्र व जवाब दावे से भी जाहिर होता है कि उक्त बयानामे प्लॉटों के रूप में हुए हैं। उक्त तनकी को भी प्रतिवादीगण साबित नहीं कर सके है। अतः तनकी नम्बर 3 विरुद्ध प्रतिवादीगण साबित की जाती है।

अतः तनकीवार किये गये उक्त समग्र विवेचन उपरान्त हम यह पाते हैं कि वादीगण अपने दावे को साबित करने में विफल रहे हैं। अतः हमारी विनम्र राय में दावा वादीगण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी ख0नं0 929,930 वाके ग्राम कटूमर तहसील कटूमर को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24/01/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(लाखन सिंह गुर्जर)  
जुजुमर अधीक्षक  
कटूमर तहसील

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 89/2015

बउनवान

1. बनवारीलाल पुत्र श्री नथ्थीलाल उम्र करीब 64 साल।
  2. बनारसी पुत्र श्री नथ्थीलाल उम्र करीब 62 साल।
  3. हरिओम पुत्र श्री नथ्थीला उम्र करीब 60 साल।
  4. घनश्याम पुत्र श्री नथ्थीला उम्र करीब 57 साल।
  5. अजय कुमार पुत्र श्री नथ्थीला उम्र करीब 46 साल।
  6. अनिल कुमार पुत्र श्री नथ्थीला उम्र करीब 41 साल।
- जाति महाजन साकिन खेडलीगंज तहसील कटूमर जिला अलवर।

----- डिकीदार

बनाम

1. रमला सिंह पुत्र घीसाराम उम्र करीब 47 साल जाति गुर्जर साकिन मैथना तहसील कटूमर जिला अलवर।
  2. संजीब कुमार पुत्र श्री रोशनलाल उम्र करीब 20 साल।
  3. श्रीमती सरवती स्त्री रोशनलाल।
- जाति गुर्जर साकिन हाल कटूमर तहसील कटूमर जिला अलवर।

.....मदयूनान्

दावा दखलयाबी

अतः वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी ख0नं0 929, 930, वाके ग्राम कटूमर तहसील कटूमर को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।  
आज दिनांक 24.01.2023 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

  
(लाखनसिंह गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कटूमर (अलवर)  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0